दूरभाष- 8904046806
आर्मी इंस्टीटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट & कैटरिंग टेक्नोलॉजी
नागरेश्वरा नगेनहल्ली
पोस्ट - कोतनूर
बेंगलूरु – 560077

पत्रांक- 2088/ सामान्य/ ए.आई.एच.एम&सी.टी 12 अगस्त 2020

पत्र प्राप्तकर्ता

परामर्शण- संस्थान परिसर में, अंतिम वर्ष के प्रायोगिक / सैद्धांतिक परीक्षा देने हेतु चतुर्थ वर्ष के छात्रों का आगमन

आदरणीय माता -पिता/ छात्र

1. दिनांक 04 अगस्त 2020 को बेंगलूरु विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के प्रचार्यो की उपस्थिति में कुलपति ने वर्चुअल बैठक आयोजित की । बैठक के दौरान कुलपति ने बताया कि 31 अगस्त तक सभी महाविद्यालय बंद रहेगी। अंतिम वर्षों के छात्रों की परीक्षा (ऑफलाइन मोडल) संभवतया सितंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जा सकती है। और सभी छात्रों के लिए ऑन लाइन परीक्षा आयोजित करने में तकनीकी कठिनाइयों कारण निर्धारित समय में परीक्षा आयोजन संभव नहीं हो सका। तब पर भी भविष्य में विश्वविद्यालय आवश्यक आधारभूत संरचना का प्रबंध करेगी। कुलपति ने स्पष्ट किया कि जो छात्र किसी कारणवश सितंबर 2020 की छूट जाती है उन छात्रों के लिए विशेष परीक्षा दूबारा ली जाएगी। 01 सितंबर 2020 से प्रथम और तृतीय, और पंचम सेमेस्टर के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं प्रांरभ की जाएगी और जब तक कॉलेज खुलने की तिथि ने घोषित कर दी जाय तब तक ऑन लाइन कक्षाएं जारी रहेगी।

2. सभी अभिभावक/ माता -पिता/ वार्ड के लिए मेरा सलाह है कि संस्थाओं के द्वारा ई-मेल/ ह्वाटस-ऐप माध्यम से आवश्यक सूचना प्राप्ति के उपरांत, अनिवार्य संस्थानगत कोरनटाइन हेतु ई.एस परिसर में अवश्य पहूँच जाएं। होस्टल में चौदह दिन के कोरंनटाइन के दौरान आई.सी.एम.आर /विश्विवद्यालय/ स्थानीय प्रशासन के अनुदेशों को अक्षरश:अनुपालन करना अनिवार्य होगा। इसके विपरीत नियम भंग करनेवाल छात्रों को आनावश्यक रूप से निर्देशित दंड शर्त को स्वीकारना होगा।

3. छात्रों को पुन: ध्यान में लाया जाता है कि कोविड-19 महामारी से सुरक्षित सामना करने और संकट काल से बचने के उद्देश्य हेतु छात्रों को ए.डब्ल्यू.ई.एस परिसर, बेंगलोर में पहूँचने के उपरांत संस्थागत होने के लिए आवश्यक अनुदेश और दिशा निर्देश का अक्षरश: अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

4. कोई भी छात्र या स्टाफ इस जानलेवा वायरस से संक्रमित न हो जाय इसको सुनिश्चत करने हेतु और इसके परिणामस्वरूप परिसर के अन्य छात्रों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लक्ष्य से प्रशासन के आर्मी चैनल के माध्यम से आवश्यक मागदर्शन/ दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गऐ हैं। इस प्रकार की कोई भी घटना हो

जाने से अनावश्यक रूप संस्था संक्रमित जोन घोषित हो जाएगी फलत: परिसर अंतिम वर्ष परीक्षा आयोजित करने के लक्ष्य से बंचित हो जाएंगे।

5. छात्रों को निदेश दिया जाता है कि वे अपना स्वास्थ्य स्वच्छता, सेनीटाइजेशन, सामाजिक दुरी, मास्क पहनना, और हमेशा परिसर में ही रहना खास तौर पर कोरेनटाइन की अवधि में जैसे आवश्यक कार्यों को सुनिश्चित करने हेतु अनुदेशों को अनुपालन करना होगा। किसी भी प्रकार से संक्रमण न हो और न ही उसका आगे प्रसार हो इसको सुनिश्चित करने के लिए मेस में सामुहिक भोजन सेवा को अलग-अलग समयावधि में की जाएगी।

6. वर्तमान स्वास्थ्य आपात महामारी (कोविड-19) के मानदंड को ध्यान में रखते हुए माता-पिता से निवेदन किया जाता है कि जब उनके बच्चे जब संस्थान में पहूँचे तो उनके पास प्रयाप्त संख्या में फेस मास्क (दूबारा उपयोग होने वाला/ पुन: धोकर पहननेवाला) उपलब्ध होना चाहिए। आपका सहयोग अति आवश्यक है।

7. कोरोना काल में 'क्या अवश्य करें' और ' क्या नहीं करें ' से संबंधित महत्वपूर्ण पहलूओं को जो सभी के द्वारा अनुपालन किया जाएगा, जिसे परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

8. माता-पिता से आग्रह किया जाता है कि यदि उनके वार्ड किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना कर हो तो अवगत कराऐं।

9. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस संकट के काल में भी आप स्वस्थ और सांनद होंगे। हम सभी वर्तमान संकट के समय में आपसी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं।

10. अंत में छात्रों को निदेश दिया जाता है कि जो छात्र कोविड-19 के प्रतिमान का पालन नहीं करेंगे उन्हें वापस उनके घर भेज दिए जाऐंगे। इस प्रकार परिस्थिति से बचने के लिए, संस्थान के प्रशासन के अनुसार सामंजस्य बनाना चाहिए। माता-पिता से निवेदन किया जाता है कि वे अपने बच्चे/वार्ड से रोज संपर्क बनाए रखे।

सुरक्षित आगमन की आशा रखते हैं और आपके संस्थान में सुखमय जीवन हो।
आप सौभाग्यशाली बनें और आपकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना
भवदीय

(पी.सेन तमीझन)
प्रचार्य

<u>परिशिष्ट</u>

<u>परिसर में अनुपालन हेतु महत्त्वपूर्ण पहलू (मानक नियम)</u>

अवश्य करें

1. शौचालय और भोजन हेतु मेस में प्रस्थान को छोड़कर आबंटित रूम में ही उपस्थित रहें।

2. एक मानक अनुदेश के अनुसार जब हॉस्टल रूम/ हॉस्टल परिसर में 14 दिन के लिए अनिवार्य कोरनटाइन में रहते हैं तब कोविड-19 के मानदंड के सभी नये सामान्य नियमों का अनुपालन अवश्य करें।

3. जल और साबुन हाथ को बार-बार धोते रहें(कम से कम प्रत्येक 20 मिनट के अंतराल में)

4. अल्कोहल मिश्रित हैंड सेनेटाइजर का प्रयोग करें (60% अधिक अल्कोहल की मात्रा

5. जब भी खांसे और छींकें तब मुँह और नाक को रूमाल या टीसू पेपर से ढक लें । उपयोग की हुई टीसू पेपर को बंद कूड़ेदान डाल दें।

6. आपके प्रवास के दौरान भोजनालय के प्रोटोकॉल का अनुपालन अवश्य होनी चाहिए।

7. उपलब्ध स्टाफ के मदद से दिन- रात स्वास्थ्य स्वच्छता और सेनीटेशन का सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

8. गर्म भोजन का सेवन अवश्य करें।

9. किसी भी सर्दी-खांसी या फ्लू जैसी बिमारी के लक्षण वाले व्यक्ति या रोगी से नजदीकी संपर्क से परहेज करें।

10. दूसरे व्यक्ति से कम से कम 1 मीटर की दूरी हमेशा बनाऐ रखें।

11. अपने आँख, नाक, कान और मुँह को छूने से परहेज करें।

12. मास्क अवश्य पहनें, जब भी हॉस्टल रूम से बाहर होते हैं।

13. मानदंड के अनुसार अकादमिक ब्लॉक में उपस्थित रहें।

14. जो भी हो, मानव संपर्क होने वाले स्पोर्ट न खेलें।

15. जिम संबंधी गतिविधि निषेध है।

16. हमेशा सामाजिक दूरी का पालन करें।

17. जब कभी परिसर में अचानक कोविड-19 के तीव्र प्रसार के नियंत्रण हेतु , लॉक डॉउन का अक्षरश: अनुपालन करें।

18. परिसर से बाहर जाना निषेध है।

19. यदि आप सर्दी-खांसी,ज्वर या श्वसन में कठिनाई हो तो तुरंत छात्र सी आर/ वार्डेन/रजिस्टार/ प्रचार्य से संपर्क करें।

20. कोरोना वायरस संबंधित संक्रमण का जांच करते रहें जो कि साधारण खांसी और ज्वर से शुरुआत होती सांस की अंतराल बहुत कम होती जाती या श्वसन में कठिनाई होने लगती है।

21. सार्वजनिक स्थानों और यदि संभव हो तो बार-बार भीड़-भाड़वाली जगहों पर अतिरिक्त सावधानी बरतें। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि कम रोग प्रतिरोध क्षमतावाले और बुजूर्ग लोगों में कोविड-19 रोग से संक्रमणित होने की संभावना अधिक रहती है।

नहीं करें यानि निषेध है-

1. धुमपान में शामिल न हों और नशीले पदार्थ का सेवन केबिन में पूर्णतया निषेध है।
2. यदि आपके हाथ धुले ना हो तो मुँह, आँख और नाक को न छूएं
3. यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बाहर न जांय।
4. मत घबरायें। कोरोना आक्रमण से बचने के लिए अपने को तैयार रखें और आवश्यक सावधानी बरतें।
5. जो भी हो मानव संपर्क स्पोर्ट न खेलें।
6. जिम संबंधी कसरतें निषेध है।
7. परिसर से बाहर जाना पूर्णतया निषेघ है।